पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित थे। बहस
विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष पर विचार किया गया।
विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा वादपत्र के तथ्यों
को दोहराकर बाद वादीगण स्वीकार करने के
कथन किये। वकील प्रतिवादीगण को आपत्ति
नहीं थी।

बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन
मनन अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा वादपत्र
में अंकित तथ्य, वांछित अनुतोषादि, जवाब
प्रतिवादीगण तथा पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत दस्ता-
वेजात पर सम्यक विचार किया गया।

वादीगण द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि वाके
मौजा सनखेड़ा आराजी खसरा नम्बर 239 व
240 किता 2 रकबा 1.61 हेक्टर पर हिस्सा
1/5 की खातेदारी तथा उक्त कृषि के
खातेदार की जाति कुम्हार दर्ज करने
का अनुतोष चाहा है।

अपने कथनों के समर्थन में वादीगण
द्वारा नकल जमाबंदी ग्राम सनखेड़ा सम्वत
2072-75 खाता नम्बर 75, नकल मिलान
क्षेत्रफल मौजा सनखेड़ा 2004-2024, नकल जमा-
बंदी ग्राम सनखेड़ा 2042-45 खाता नम्बर
47 व 20, छाया प्रति जाति प्रमाण पत्र दि. 18/01,
महेश कुमार S/o रामचंद्र, जारी द्वारा तहसीलदार
रामगंजमण्डी, छाया प्रति जाति प्रमाण पत्र मेघचंद
दि. 13.[illegible].05 जारी द्वारा तहसीलदार रामगंजमण्डी,

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

क्रमशः

आय प्रमाणपत्र रामनिवास जारी द्वारा तहसीलदार
भानपुरा (म.प्र.) दि. 26.7.06, जाति प्रमाण पत्र
धन्नालाल जारी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी
गरोठ (म.प्र.) दि. 18.12.01, वोटर परिचय पत्र
रामनिवास नं. MP/40/315/021098 जारी दि.
17.7.95 विधानसभा गरोठ (म.प्र.) मृत्यु प्रमाण
पत्र मन्नालाल दि. 27.8.18, रूपीबाई दि.
28.3.19, रामचंद्र दि. 10.5.18, रामकंवरीबाई
दि. 26.3.19, रामलाल दि. 27.2.2016, की
छायाप्रतियां तथा ग्राम पंचायत गोयन्दा
के प्रमाण पत्र दि. 15.1.2021 की मूल
प्रति प्रस्तुत की गई।

वादीगण द्वारा वादपत्र की मद नम्बर
2 में मृतक खातेदार मन्नालाल पुत्र धूलीलाल
के रामनिवास, रामचंद्र, ननूबाई, चन्दाबाई,
रामकंवरी तथा रूपीबाई कुल 6 वारिस
अंकित किये है, जिनमें से 5 का अर्थात
5 तथा उनके वारिसान मौजूद होना
अंकित किया है। इसके विपरीत ग्राम
पंचायत गोयन्दा के प्रमाण पत्र दिनांक
15.1.21 जो वादीगण द्वारा ही प्रस्तुत
किया है, उसमें कुल 5 वारिस होना
तथा मन्नालाल की बेवा रूपीबाई के
फौत होने पर कुल 4 ही वारिस होना

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

क्रमशः

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अंकित किया है। ग्राम पंचायत के प्रमाण-पत्र में श्यामकँवरीबाई को मन्नालाल की पुत्री है, को ग्राम पंचायत द्वारा अंकित नहीं किया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा अंतिम पद के बारे में कुछ भी अंकित नहीं किया है।

वादीगण की जाति कुम्हार है, यह प्रमाण पत्रों से जाहिर आता है। मन्नालाल के कथित पुत्र व पौत्र की जाति कुम्हार है, यह भी प्रकट / प्रमाणित है।

वादीगण एवं पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज से यह प्रतीत होता है, कि मन्नालाल की जाति कुम्हार है, किन्तु यह प्रमाणित नहीं होता कि उसके वस्तुतः कितने वारिस है, तथा वादग्रस्त भूमि पर किस पक्षकार का कितना हिस्सा है। मन्नालाल की 1975 में ही मृत्यु होना मृत्यु प्रमाण पत्र से जाहिर आता है।

मृतक मन्नालाल के विधिक उत्तराधिकारी कितने है, तथा किस उत्तराधिकारी का कितना स्वत्व या हिस्सा है? यह तय नहीं किया जा सकता।

प्रकरण में मृतक खातेदारान् अर्थात मन्नालाल के विधिक वारिसान कितने हैं? तथा उनका कितना-कितना हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी

क्रमशः

हुक्म	
	है ? यह सर्वथा तथ्य नहीं थी अतः गुणावगुण के आधार पर वाद वादी अंशतः स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम सनावड़ा की भूमि खसरा नम्बर $\frac{239}{0.81}$, $\frac{240}{0.80}$ किता 2 रकबा 01.61 हे. के खातेदार मन्नालाल S/O धूलीलाल की खाते में जाति "कुम्हार" दर्ज की जावे। तदनुसार डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली की निर्णित में गणना की जाकर प्रविष्ट कोष भण्डार हो। निर्णय आज दिनांक 27/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया। (देशल दान) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

Judl Civil
Part V-10

अंतिम डिकरी व मुकद्दमे ~~[illegible]~~

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, ज़ाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत— उपखण्ड अधिकारी (I.A.S.) —मुकाम— रामगंजमण्डी

व इजलास— देशल दान

राधूलाल —बनाम— रामकिशन

2019/00279

दावा बाबत— 88-89 R.T.Act 1955

मुकद्दमा नं— 156 —सन्— 2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू— श्री देशल दान I.A.S.

बहाजरी— श्री डी.आर. मीणा एड. —मिनजानिब मुद्दई व— श्री प्रमोद मीणा एड.

—मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

राजीनामा के आधार पर वाद वादी अंशतः स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि ग्राम सनखेड़ा की भूमि ख०नं० 239/0.81, 240/0.80 किता 2 रकबा 1.61 है० के खातेदार मन्नालाल पुत्र धूलीलाल की खाते में जाति "कुम्हार" दर्ज की जावे।

खीज— — मुबालिग — — बाबत —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह— — —फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख वसूलयाबी तक— — —को अदा करें।

बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख— 29 —माह— 01 —2021 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत [signature]
ओहदा उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

मुद्दई		रुपया	पं.	मुद्दायलाह		रुपया	पं.
स्टाम्प अर्जी दावा	....			स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अर्जी	....		
स्टाम्प बजह सबूत	....			महनताना वकील	....		
महनताना वकील	....			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बाबत इजराय हुकमनामा	....		
बाबत इजराय हुकमनामा	....			मुतफर्रिक	....		
मुतफर्रिक	....						
मीजान	....	—	—	मीजान	....	—	—

नोट—इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

रा. मु. बी. 136-2006-1,00,000 फार्म

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी